

Intake Letter

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विश्विक संस्थान)



Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)


F. No. NRC/NCTE/ NRCAPP-5920/2015/ 1192-15

Dated:
123 JUL 2015

Corrigendum

Annual intake of 50 Students for one basic unit mentioned in the recognition order No. NRC/NCTE/NRCAPP-5920, 5884, 5915, 5796, 5400, 5799, 5777, 6019, 5784, 5795 & 5844 / 233rd Meeting/2015/89308-328 dated 03.03.2015 para 3, Sr. No. 1 i.e. Shiva Educational Institute, Plot No.-0454, Street No.-Mohmadpur, Village-Mohmadpur Kadim, Post office-Modinagar, Tehsil/Taluka/Town/city- Modinagar, District-Ghaziabad-201204, State-Uttar Pradesh for B.Ed. Course be read as annual intake of 100 Students for two basic units.

Other contents of the order shall remain unchanged.


(Dr. S.K. Chauhan)
Regional Director

The Manger to Govt. of India,
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to:

1. The Principal, to Shiva Educational Institute, Plot No.-0454, Street No.-Mohmadpur, Village-Mohmadpur Kadim, Pos: office-Modinagar, Tehsil/Taluka/Town/city-Modinagar, District-Ghaziabad-201204, State-Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.
3. The Principal Secretary, (Higher Education) Govt. of Uttar Pradesh, UP Civil Secretariat, Annexe Bhawan 5th Floor, Room No. 501, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
4. The Registrar, Choudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200005, Uttar Pradesh.
5. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, I, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
6. Office order file/Institution file.


Regional Director

Intake Letter

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/694
दिनांक : 10.5.2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79- वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 की उपधारा-2 द्वारा प्रवक्त-अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में शिवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मौ0 कदीम, मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम (100 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविष्ट गानित परन्तुक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
02. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
03. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने को कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 09.05.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार शिवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मौ0 कदीम, मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम (100 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, शिवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मौ0 कदीम, मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव